आदेश

विगत वर्षों समय से प्रकरण पक्षों
न्यायालय में उपस्थित नहीं है और
न कोई पैरवी है। बार-बार
न्यायालय द्वारा notice के बावजूद
उपस्थित नहीं हुए और न अपना
पक्ष रखा। ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया
संचालन संभव नहीं हो रहा है अतः
प्रकरण पक्ष द्वारा बाद में विधि नहीं लेने
तथा पक्षकार बाद की प्रक्रिया यथास्थिति
आवेदक के आवेदन से अस्वीकृत करते
हुए खारिज की जाती है।

27/11/23

Digitally signed by AJAY BHAGAT
Date: 2024.08.28 17:37:24 +05:30
Location: 192.168.1.41